

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्योपुर (म.प्र.)
क्रमांक/एस.डब्ल्यू/2020/3205 दण्डाधिकारी जिला श्योपुर, दिनांक 28

संशोधित आदेश

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक/एस.डब्ल्यू/2020/3163 श्योपुर दिनांक 25.03.2020 की कण्डिका क्रमांक 5-9 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

कण्डिका क्रमांक-5 :- समस्त बैंक एवं वित्तीय संस्थान, मेडीकल दुकान, हॉस्पिटल, पेट्रोलपंप प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे तथा अन्य समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद किये जाते हैं इनमें से सब्जी दुकान, किराना दुकान, दूध की दुकान, घर घर जाकर दूध विक्रय, सब्जी विक्रय करने वाले, साँची पार्लर, गैस ऐजेन्सी, समाचार पत्र वितरण इस प्रतिबंध से प्रातः 07.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक के लिए मुक्त रहेंगे अथवा उक्त अवधि में कय विक्रय किया जा सकेगा।
शेष आदेश यथावत रहेगा।

(प्रतिष्ठा पाल)

जिला मजिस्ट्रेट

जिला श्योपुर (म.प्र.)

श्योपुर दिनांक

पृष्ठा. क्रमांक/एस.डब्ल्यू/2020/3206

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त चंबल संभाग मुरैना।
3. पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन मुरैना।
4. कलेक्टर जिला श्योपुर।
5. पुलिस अधीक्षक श्योपुर।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्योपुर।
7. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल कूनो/सामान्य।
8. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्योपुर।
9. अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्योपुर/विजयपुर/कराहल।
10. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्योपुर/बड़ौदा/विजयपुर।
11. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसील श्योपुर/विजयपुर/कराहल/वीरपुर/बड़ौदा।
12. मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्योपुर/बड़ौदा/विजयपुर की आदेश की मुनादी कराये जाने हेतु।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्योपुर/विजयपुर/कराहल की ओर आदेश की मुनादी कराये जाने हेतु।
14. समस्त कार्यालय प्रमुखजिला श्योपुर की ओर सूचनार्थ।
15. समस्त थाना प्रभारीजिला श्योपुर की ओर सूचनार्थ।
16. प्रभारी अधिकारी पुलिस कन्ट्रोल रूम श्योपुर।
17. जिला जनम्पर्क अधिकारी श्योपुर की ओर प्रचार प्रसार हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला श्योपुर (म.प्र.)